अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0– 164 सन् 2015

उमेश सिंह.....वादी

बनाम

सूरज राय व अन्य.....प्रतिवादीगण

दिनांकः–

13.12.2019

उभय पक्षों की हाजिरी दी गई। अभिलेख को वादी के आवेदन दिनांक 24.10.2019 के आवेदन पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है।

आदेश

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा आवेदन आदेश 22 नियम 4 के अंतर्गत दाखिल किया गया है जिसमें उनका कहना है कि मुकदमा के प्रतिवादी सं0 1 सूरज राय की मृत्यु 18.05.2019 को हो गई और वे अपने पीछे चार लड़के को छोड़कर मर गए और न्यायहित में मृत्यु प्रतिवादी सं0 1 सूरज राय का नाम अभिलेख के प्रतिवादी के खाने से कलमजद करके उनके स्थान पर उनके वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करना आवश्यक है।

उपर्युक्त आवेदन का कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा यह आवेदन दिया गया है जो शपथ पत्र से समर्थित है जिसका विरोध प्रतिवादीगण द्वारा नहीं किया गया है अतः न्यायहीत में विलंब को माफ करते हुए और अवेडमेंट को सेटेसाइट करते हुए प्रतिवादी सं0 1 के वारिसानों को उनके स्थान पर प्रतिस्थापित करने की अनुमति दी जाती है।

वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 10.01.2020

सब जज
सोनपुर सारण।